राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4244/2024

शीला देवी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सिंघावली बरेह, धौलपुर।
5. शिवानी शर्मा, सहायक अध्यापक लेवल–I, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सिंघावली बरेह, धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.12.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. स्थाई राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सिंघावली बरेह, धौलपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महुगुलावली, बसेड़ी में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर अधिशेष कार्मिक नहीं है। अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष होना मानते हुए स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग की नीति के अनुसार अपीलार्थी को पास के ही ब्लॉक में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, परंतु अपीलार्थी को पास के ब्लॉक में स्थानांतरित न कर दूर स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, जो उचित नहीं है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी का विद्यालय कमोन्नत हो जाने के आधार पर अपीलार्थी को अधिशेष माना गया है तथा उसी जिले में पदस्थापन किया गया। अपीलार्थी को अधिशेष माने जाने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।
4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भडारी)
सदस्य(न्यायिक)

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–IIII, लेवल–I, के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सिंघावली बरेह, धौलपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 संविदा कर्मचारी को लाभ पहुचाने के लिए अपीलार्थी का स्थानान्तरण/समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महागुलावाली, बसेड़ी, धौलपुर में कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है। जिसकी अनुपालना में संविदा पर लगे हुए सहायक अध्यापक को अधिशेष घोषित करना था। परन्तु अपीलार्थी का चयन वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया। अपीलार्थी नियमित कर्मचारी है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.08.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को सहायक अध्यापक लेवल–I, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सिंघावली बरेह, धौलपुर में संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए लगाया गया था। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय के आदेश दिनांक 04.01.2023 एवं 15.01.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा स्थानान्तरण पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगा रखा है। प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 14.11.2024 के दिशा–निर्देशों के विपरीत जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया है, जो विधि–विरूद्ध एवं मनमाना है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सिंघावाली बरेह, धौलपुर में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के पद कार्य करने दिया जावे।
2. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओ को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
3. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट है कि
4.
5. अपीलार्थी कार्मिक का मूल पद अध्यापक–लेवल–2 (हिन्दी) है, राज्य सरकार द्वारा पूर्व में महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों में कम्पूयटर शिक्षण हेतु अस्थाई व्यवस्था के तौर पर अध्यापक संवर्ग के कार्मिकों का वॉकइन इन्टरव्यू के माध्यम से चयन कर कम्पयूटर शिक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया था तदुपरांत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के द्वारा The Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of Personnel in the English Medium Schools Rule), 2023. नियम निर्धारित किये गये, में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कम्पूयटर शिक्षक अथवा कम्यूटर टीचर का

कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया अपितु उक्त नियमों के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में बेसिक कम्पूयटर अनुदेशक (Basic Computer Instructor) का पद सृजित/आवंटित किया गया है। अपीलार्थी कार्मिक को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलोपा, ब्लॉक चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर में अपीलार्थी कार्मिक के मूल पद अध्यापक लेवल–2 (हिन्दी) के पद पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी कार्मिक की योग्यता बी.ए. (हिन्दी साहित्य, राजनिति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र), एम.ए. (राजनिति विज्ञान), बीएड. तथा आरएससीआईटी है वही निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 की योग्यता बी.टेक. (Computer Science Engineering) है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 छात्र–छात्राओं को कम्यूटर विषय के सन्दर्भ में उचित ज्ञान प्रदान करने की योग्यता धारित करता है वहीं अपीलार्थी कार्मिक स्वंय के विषय (हिन्दी) से संबंधित ज्ञान छात्र–छात्राओं को प्रदान कर सकता है। कम्प्यूटर विषय का शिक्षण करवाने हेतु निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 अपीलार्थी कार्मिक से अधिक योग्य है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के द्वारा महात्मा गांधी विद्यालयों हेतु कैडर विदईन कैडर (Cadre within Cadre) का निर्माण किया गया है। इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभाग में पूर्व से हिन्दी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का साक्षात्कार/विशेष चयन परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाकर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन किया जाता है तथा नियम संख्या 14(6) के अनुसार इन्हें अंग्रेजी माध्यम से अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है तथा चयन अवधि पूर्व होने अथवा अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी पर इन चयनित कार्मिकों को पुनः अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से आवश्यकता अनुसार पुनः हिन्दी माध्यम विद्यालयों में भी पदस्थापित किया जा सकता है। अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के अनुसरण में निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 (बेसिक कम्पूटर अनुदेशक) को निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देशानुसार माहात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय में पदस्थापित किया गया है तथा स्वीकृत पद अनुसार कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में ही अपीलार्थी कार्मिक को अधिशेष करते हुए अपीलार्थी के स्वीकृत पद एवं विषय के अनुसार ही अपीलार्थी कार्मिक को छात्र–हित/राज्य हित में पदस्थापित किया गया है, जिससे दोहरे पदस्थापन की स्थिति की समाप्त किया जाकर उपलब्ध मानव संसाधनों का उचित उपयोग राज्यहित में किया जा सके। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश में हस्तेक्षप किये जाने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।